


दिनांक 04.01.2020

वर्ष 2019 में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की ऑफ लाईन काउंसलिंग की सूचना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 02-02/2019/सत्रह/मेडि-1/2020 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि उक्त 547 चिकित्सकों को पुनः ऑफ लाईन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना चयन का विकल्प दिया जावे।

शीघ्र ही विभागीय वेबसाईट पर ऑफ लाईन काउंसलिंग के दिनांक एवं दिशा निर्देश संबंधी सूचना विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी।

  
स्वास्थ्य आयुक्त,  
मध्यप्रदेश